

वित्त मंत्रालय
मांग संख्या 38
व्यय विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

		बजट 2007-2008			संशोधित 2007-2008			बजट 2008-2009			
मुख्य शीर्ष		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	
राजस्व		1.00	143.00	144.00	0.75	92.59	93.34	4.00	37.86	41.86	
पूंजी		6.00	...	6.00	
जोड़		1.00	143.00	144.00	0.75	92.59	93.34	10.00	37.86	47.86	
1.	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052	...	29.29	29.29	...	29.52	29.52	...	31.64	31.64
अन्य प्रशासनिक सेवाएं											
2.	राष्ट्रीय वित्त प्रबंध सोसायटी संस्थान की प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने की योजना	2070	1.00	1.40	2.40	0.75	1.40	2.15	4.00	1.40	5.40
3.	राष्ट्रीय वित्त प्रबंध सोसाइटी संस्थान का विकास	4070	6.00	...	6.00	
4.	सिविल लेखाकरण विभाग में प्रशिक्षण केंद्र (सरकारी लेखांकन और वित्त संस्थान)	2070	...	2.41	2.41	...	2.39	2.39	...	3.64	3.64
5.	एशिया के सरकारी लेखा संगठन संघ को अंशदान	2070	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
6.	महालेखा नियंत्रक के कार्यालय का आधुनिकीकरण	2070	...	1.40	1.40	...	0.80	0.80	...	0.35	0.35
7.	छठा केन्द्रीय वेतन आयोग	2070	...	8.49	8.49	...	8.47	8.47	...	0.82	0.82
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं											
8.	केन्द्रीय आयोजना स्कीमों के सम्बन्ध में वचनबद्धता व्यय के लिए एकमुश्त प्रावधान	3475	...	100.00	100.00	...	50.00	50.00
कुल जोड़			1.00	143.00	144.00	0.75	92.59	93.34	10.00	37.86	47.86
ग. आयोजना परिव्यय		विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब. बा.सं.	जोड़
1.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	32070	1.00	...	1.00	0.75	...	0.75	10.00	...	10.00

1. इसमें महालेखा नियंत्रक के कार्यालय सहित व्यय विभाग के सचिवालय के व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. यह प्रावधान राष्ट्रीय वित्त प्रबंध सोसायटी संस्थान को सहायतानुदान देने के लिए है जिसके अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय सरकार के वित्त एवं लेखा अधिकारियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल है।

3. यह प्रावधान राष्ट्रीय वित्त प्रबंध सोसाइटी संस्थान की अतिरिक्त अवसंरचना आवश्यकता की पूर्ति के लिए है।

4. यह प्रावधान महालेखा नियंत्रक द्वारा सिविल लेखा विभाग के समूह ख और ग कर्मचारियों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने पर होने वाले व्यय के लिए है।

5. यह प्रावधान एशिया के सरकारी लेखा संगठन संघ को अंशदान देने के लिए है।

6. यह प्रावधान महालेखा नियंत्रक के कार्यालय का आधुनिकीकरण करने के लिए है।

7. यह प्रावधान छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के लिए है।

8. एकमुश्त प्रावधान 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पूरी की गई केन्द्रीय आयोजना स्कीमों के संबंध में वचनबद्धता किए गए व्यय को पूरा करने के लिए किया गया है। यह व्यय मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनके द्वारा यथा निर्णीत आवश्यक प्रावधान करने के बाद अपने मांग अनुदानों से पूरा किया जाएगा। इस एकमुश्त प्रावधान को बाद में तदनुसार अभ्यर्पित किया जाएगा।